रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102022-239956
CG-DL-E-31102022-239956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 31, 2022/कार्तिक 9, 1944
No. 709] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2022/KARTIKA 9, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2022

सं. 55/2022- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 796(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, को, जब भारत से उनका निर्यात किया गया हो, उन पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की उक्त दूसरी अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर से संगणित राशि से अधिक होती हो, उन शर्त (शर्तों) के अधीन जो इस अधिसूचना के अनुबंध में निर्दिष्ट है, जिसकी शर्त संख्या (संख्याओं) का उल्लेख उक्त सारणी के कॉलम (5) में संबंधित प्रविष्टि में किया गया है, अर्थात्: -

सारणी

क्र. सं.	अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	शुल्क की दर	शर्त संख्या (संख्याओं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1006 10	भूसी में चावल (धान या खुरदुरा)	शून्य	1
2.	1006 20	भूसी (भूरा) चावल	शून्य	2 तथा 3

3.	1006 30 90	अर्द्ध मिल्ड या पूर्ण मिल्ड चावल, पॉलिशड या ग्लेज़्ड हो या नहीं (पारबॉयल्ड चावल और बासमती चावल के अलावा)	शून्य	2 तथा 3
4.	1006	जैविक नॉन-बासमती चावल	शून्य	4

अनुबंध

शर्त संख्या	शर्त (शर्तों)
1.	जिस दिन से यह अधिसूचना लगू होगी, तब से, रक्सौल या जोगबनी या सोनौली में स्थित सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से नेपाल को निर्यात किये जाने वाला माल, जहाँ उक्त तीनों स्टेशन के माध्यम से निर्यात जाने वाला माल सारे माल की कुल मात्रा 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक न हो ।
2.	निर्यात के लिए माल 9 सितंबर, 2022, से पहले निर्यात के उद्देश्य से सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर गया हो, और उचित अधिकारी द्वारा निर्यात की मंजूरी की अनुमति देने का आदेश जारी नहीं किया गया हो ।
3.	(i) निर्यात के लिए अभिप्रेत माल इररेवोकबल लेटर ऑफ़ क्रेडिट द्वारा समर्थित हो, जहाँ पर उक्त लेटर ऑफ़ क्रेडिट को 9 सितंबर, 2022 से पहले खोला गया हो, और भारतीय और विदेशी बैंक के बीच संदेश विनिमय की तारीख/ स्विफ्ट तारीख 9 सितंबर, 2022 से पहले की हो । (ii) उक्त लेटर ऑफ़ क्रेडिट प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा प्रमाणित हो ।
4.	निर्यात के लिए अभिप्रेत वस्तुओं को केवल तभी निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी जब उनके साथ ऐसी सर्टिफिकेशन संस्था के द्वारा जारी किया गया प्रोविशनल ट्रांसक्शन सर्टिफिकेट/ ट्रांसक्शन सर्टिफिकेट हो जिसे डिपार्टमेंट ऑफ़ कॉमर्स के नेशनल प्रोग्राम फॉर आर्गेनिक प्रोडक्शन के अंतर्गत आने वाले नेशनल एक्क्रेडीटेशन बॉडी (एन.ए.बी.) फॉर आर्गेनिक प्रोडक्ट्स के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जैसा की डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरिन ट्रेड के पब्लिक नोटिस नंबर 73 (RE-2013)/2009-2014, दिनांक 18 नवंबर, 2014, में उल्लेखित है ।

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2022 से लागू होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/242/2022-टीओ(टीआरयू-I)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2022

No. 55/2022-Customs

G.S.R. 796(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub–heading or tariff item of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, subject to any of the condition(s), specified in the Annexure to this notification, the condition number(s) of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely: –

TABLE

Sl. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods	Rate of duty	Condition number(s)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1006 10	Rice in the husk (paddy or rough)	Nil	1
2.	1006 20	Husked (brown) rice	Nil	2 and 3
3.	1006 30 90	Semi-milled or wholly-milled rice, whether or not polished or glazed (other than Parboiled rice and Basmati rice)	Nil	2 and 3
4.	1006	Organic Non-Basmati Rice	Nil	4

Annexure

Condition number	Condition(s)
1.	Goods meant for export to Nepal, when exported through the customs station located at Raxaul or Jogbani or Sonauli, upto an aggregate quantity not exceeding six lakh metric tonnes of total exports of such goods through the said stations, taken together, from the date on which this notification enters into force.
2.	Goods meant for export shall have entered the customs station for the purpose of exportation before the 9th day of September, 2022, and an order permitting clearance has not been issued by the proper officer.
3.	(i) Goods meant for export shall be backed by irrevocable Letter(s) of Credit, wherein the said letter(s) of credit has been opened before the 9th day of September, 2022, and the message exchange date between the Indian and Foreign bank/swift date should be before the 9th day of September, 2022. (ii) Such Letter(s) of Credit should have been authenticated by the Recipient Bank.
4.	Goods meant for export shall be allowed to be exported only when accompanied by a Provisional Transaction Certificate/ Transaction Certificate issued by a Certification Body accredited by National Accreditation Body (NAB) for Organic Products under the National Programme for Organic Production of the Department of Commerce, as mentioned in the Directorate General of Foreign Trade Public Notice No. 73 (RE-2013)/2009-2014, dated the 18th November, 2014.

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 2022.

[F. No. CBIC-190354/242/2022-TO(TRU-I)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.10.31 22:30:59 +05'30'